

विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार जतरु चौक पिता - दुखराम चौक को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के बिरसा बहादुर द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम बोलवा खाता नं० ५९ रकबा - ०.६० रक० वर्ष २०२०-२१ का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान बिरसा बहादुर के भ्रष्टा लिखित व्याज है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य रसीद दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम बोलवा खाता न० ५९ प्लॉट न० — सर्वे खतियान में किस्म जंगल झील दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितकरण योग्य नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने अनियमित करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जतरु चौक पिता दुखराम चौक ग्राम बोलवा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>बोलवा</u>	<u>60</u>	<u>५९</u>	<u>—</u>	<u>०.६०</u> रक०

अतः विभागीय पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,

बोलवा

अंचल अधिकारी,

बोलवा